

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध वाद संख्या- 07/2014-15

—:आदेश:—

अनुसूची 14-फारम सं0 563

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख के साथ

25/9/18

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक विभिषण सिंह रजक, पिता नकुल चन्द्र रजक, सा0 सियालजोरी, टोला ढांगाडी निचु कुल्ही, थाना चन्दनकियारी, जिला बोकारो से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में प्रारंभ किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

विवादित भूमि			
मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
सियालजोरी	208	5581	01.00ए0

आवेदक अपने आवेदन में उल्लेख किये हैं कि मौजा सियालजोरी, खाता सं0 208, प्लॉट सं0 5581, रकबा 01.00ए0 भूमि बंदोबस्ती पट्टा के माध्यम से प्राप्त है। जिसका मालगुजारी सरकार को देते आ रहे हैं। विपक्षी रमेश महतो एवं अन्य द्वारा मेरे जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके द्वारा उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किये हैं कि मौजा सियालजोरी, खाता सं0 208, प्लॉट सं0 5581, रकबा 3.25ए0 भूमि गैर आबाद खाते की भूमि है। तत्कालीन खेवटदार सर्वेस्वर महतो एवं अन्य द्वारा बंगला सम्बत 1345ई0 को 3.00रू0 सालाना मालगुजारी लेकर बंकू महतो एवं अन्य को बन्दोबस्त किया गया, तब से लगातार वंशानुगत तरीके से भूमि पर दखल-कब्जा है। अन्त में इनके द्वारा प्रथम पक्ष के पक्ष में किया गया बन्दोबस्ती पर्चा को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

इस वाद में दिनांक 16.06.2016 से प्रथम पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे हैं। न्यायालय द्वारा भी प्रथम पक्ष को अंतिम रूप से दिनांक 17.05.2018 को सूचना निर्गत किया गया, परन्तु उक्त सूचना के बावजूद भी प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

अतः अभिलेख में संलग्न राजस्व कागजातों से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष 1. विभीषण सिंह रजक, पिता नकुल रजक 2. बंकिम चन्द्र रजक, पिता नकुल चन्द्र रजक के पक्ष में बंदोबस्त पर्चा निर्गत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा है। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की भूमि पर हस्तक्षेप न करें इसी आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।